



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 1969/फाल्गुन 15, 1890

No. 45]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 1969/PHALGUNA 15, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March 1969

G.S.R. 765.—In pursuance of section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies the Mysore Baby Food (Maintenance of Accounts, Display of Prices and Stocks) (Second) Order, 1967 and the Mysore Edible Oils and Vanaspati (Maintenance of Accounts, Display of Prices and Stocks) (Second) Order, 1967, made by the State Government of Mysore to be special orders for purposes of summary trial under the said section.

[No. F. 1-12/68-Econ.Py.]

B. R. PATEL, Secy.

लाघ, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1969

सा० का० नि० 766,—अस्थापयक नस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के धारा 12-ए के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण के प्रयोजन के लिए मैसूर सरकार द्वारा बनाए गए "दी मैसूर बेनी फूड (मैन्टीनेन्स आफ अकाउन्ट्स, डिसप्ले आफ प्राइमिज एण्ड स्टाक्स) सैकन्ड आर्डर, 1967" और "दी मैसूर एडीबल आइल्ज एण्ड वनाम्पति (मैन्टीनेन्स आफ अकाउन्ट्स, डिसप्ले आफ प्राइमिज एण्ड स्टाक्स) सैकन्ड आर्डर, 1967" को विशेष आदेश निर्दिष्ट करती है ।

[सं० एक० 1-12/68-अर्थनीति]

बी० आर० पटेल, मन्त्रि ।